प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 13.06.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 50,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 50,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.11.2022 को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी द्वारा थाना बकेवर पर उसकी पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना दी । जिसके आधार पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 441/2022 धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी वरि0उ0नि0 श्री यशवंत सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 13.06.2024 को मा0 न्यायालय A.S.J/ स्पेशल जज पोक्सो एक्ट इटावा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 50,000-/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **चन्द्र किशोर पुत्र स्व0 शिवदीन उर्फ नेहनु निवासी बिजौली थाना बकेवर जनपद इटावा ।**